

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : ओमप्रकाश बिश्नोई, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 4/2020

प्रार्थी-

राजस्थान सरकार जरिये खाद्य
सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी-

1. हरखाराम पुत्र पूराराम जाति जाट
(जाखड़) निवासी बांकाणियों का
वास, मंगने की ढाणी जिला बाड़मेर
(मैसर्स प्रकाश किराणा स्टोर सिणधरी
चौराहा बाड़मेर का मालिक)
2. बंशीधर पुत्र रिखबदास जाति जैन
निवासी शिवकर रोड कल्याणपुरा
जिला बाड़मेर (मैसर्स पवन घी
भण्डार कृषि मण्डी बाड़मेर का सोल
प्रोपराईटर)

**परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(i) सहपठित धारा 51 व 52 खाद्य
सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006**

उपस्थिति :-

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. अप्रार्थीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने एकपक्षीय।

आदेश

दिनांक : 30.03.2021

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की
उप धारा (2)(i) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा और
मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है।
खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि
अप्रार्थीगण की फर्म मैसर्स प्रकाश किराणा स्टोर सिणधरी चौराहा बाड़मेर पर
निरीक्षण दिनांक 25.04.2018 को विक्रय हेतु रखा गया खाद्य पदार्थ रिफाईन
सोयाबीन तेल ब्राण्ड सागर (500एमएल) जो कि एक कार्टून में भरा हुआ पाया,
को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार दो लीटर रिफाईन सोयाबीन तेल



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

ब्राण्ड सागर (500एमएल) वास्ते नमूना क्रय किया जाकर नमूना संख्या पी-902 अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र-5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **रिफाईन सोयाबीन तेल ब्राण्ड सागर (500एमएल)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **रिफाईन सोयाबीन तेल ब्राण्ड सागर (500एमएल)** का नमूना **मिथ्याछाप (Misbranded)** व **अवमानक (Substandard)** पाये जाने पर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(i) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी कोई जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब प्रस्तुत किया कि मेरे द्वारा उक्त तेल पवन घी भण्डार बाड़मेर से क्रय किया गया। मेरे द्वारा उक्त तेल में किसी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है तथा जिस हालत में पैकिंग खरीदा उसी हालत में पैकिंग बेचा जा रहा है। अतः मेरे विरुद्ध कार्यवाही निरस्त करने की कृपा करावें। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कोई जवाब पेश नहीं करने पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रस्तुत परिवाद पर अभियोजन अधिकारी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।
3. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी में माना गया है। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक **03.05.2018** की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उसके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नहीं की गई और न ही इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत परिवाद में प्रतिरक्षण के रूप में जवाब प्रस्तुत



किया है। इससे जाहिर हैं कि अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से खाद्य पदार्थ का लिया गया नमूना मिथ्याछाप व अवमानक पाये जाने के तथ्य का कोई जवाब नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जवाब में प्रकट किया है कि उसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 से पैक खरीदा है तथा कोई मिलावट नहीं की गई है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा इस प्रकार से उपभोक्ताओं के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुक्त होने का प्रयास किया गया है। अप्रार्थीगण को निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रत्येक स्तर पर समुचित अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी कोई ठोस एवं तथ्यात्मक जवाब/प्रतिरक्षण प्रस्तुत नहीं करना उनकी मौन स्वीकारोक्ति है। लिहाजा अप्रार्थीगण के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(i) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 व 52 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी के विरुद्ध अपराध धारा 51 व 52 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थीगण पर संयुक्त रूप से रूपये 25,000/- का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष में जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।
5. आदेश आज दिनांक 30.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



[Signature]
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर